न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 51/2017

जीसीएमएस संख्या: 2017/00045

1. मुस0 सुनीता पत्नी श्री रूद्रदत्त उर्फ घूरे जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम निवासी पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर ....वादिया

बनाम

1. रामप्रकाश पुत्र श्री कल्लाराम
2. विद्यादेवी पत्नी श्री चंदनसिंह
3. मंजू पुत्री स्व0 श्री चंदनसिंह
4. मुस. शिखा पत्नी प्रणवांकर
5. दीपक पुत्र श्री प्रणवांकर नाबालिग सरपरस्ती माता खुद मुस. शिखा पत्नी प्रणवांकर
6. भूदेवी पत्नी स्व0 धनवीरसिंह
7. कृष्णमुरारी पुत्र स्व0 श्री धनवीरसिंह
8. रामवरन पुत्र स्व0 श्री धनवीरसिंह
9. लक्ष्मी पुत्री स्व0 श्री धनवीरसिंह
10. श्रीदेवी पुत्र स्व0 श्री धनवीरसिंह

समस्त जातिगण ब्राह्मण निवासीगण सरानीखेड़ा रोड़ पुरानी छावनी तहसील व जिला धौपलुर

11. भारत पुत्र श्री प्यारेलाल
12. प्रियंकर पुत्र स्व0 श्री रामनिवास
13. हरीओम पुत्र स्व0 श्री रामनिवास

समस्त जातिगण ब्राह्मण निवासीगण सिटी जुबली हॉल के सामने घन्टाघर रोड़ धौलपुर

14. मु0 ओमवती पत्नी स्व0 श्री रामनिवास
15. सुनील पुत्र स्व0 श्री रामनिवास
16. रमाकांत पुत्र स्व0 श्री रामनिवास

समस्त जातिगण ब्राह्मण समस्त निवासीगण सरानी खेड़ा रोड ग्राम पुरानी छावनी तसहील व जिला धौलपुर ....असल प्रतिवादीगण?

17. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मित्तल कोलोनी धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबंधक
18. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संतर रोड़ धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक
19. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार महोदय तहसील धौलपुर वहैसियत भूमि धारक ....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 14.07.2025

निर्णय

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 21.11.2016 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 05.11.2019 को प्रांरम्भिक रूप से डिकी किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 499 दिनांक 07.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादिया डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 808, 809, 810, स्थिति ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. सुनीतादेवी पत्नी रूद्रदत्त उर्फ घूरे जाति ब्रा0 सा. पुरानी छावनी खातेदार राहिन बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मित्तल कोलोनी धालपुर	810/5	0.5026 है0
2. भारत पुत्र प्यारेलाल जाति ब्रा0 सा. पुरानी छावनी खातेदार सा. ओदी का पुरा खातेदार	810/3	0.5026 है0
3. रामप्रकाश पुत्र कल्लाराम जाति ब्रा0 सा. पुरानी छावनी खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा धौलपुर	809/1 810/01	0.1912 है0 0.0601 है0
4. विद्यादेवी पत्नी चंदनसिंह हि. 1/2 मंजू पुत्री चंदनसिंह हि. 1/4 शिखा पत्नी प्रणवांकर हि. 1/8 का पुरा खातेदार, नाबालिग दीपक पुत्र प्रणवांकर हि. 1/8 जाति ब्राह्मण सा. पुरानी खातेदार	808 809/2	0.1770 है0 0.0743 है0
5. ओमवती पत्नी रामनिवास व प्रियंकर, रमाकांत, सुनील, हरिओम पुत्रान स्व0 रामनिवास हि.ब. जाति ब्रा0 सा. पुरानी छावनी	810/4	0.2513 है0
6. भूदेवी पत्नी धनवीर, कृष्णमुरारी, रामवरन पुत्रान व लक्ष्मी, श्रीदेवी पुत्रीयां धनवीर हि0ब0 जाति ब्रा0 सा0 पुरानी छावनी खातेदार	810/2	0.2514 है0

कुल किता 08 रकवा 2.0105 हैक्टेयर बाके ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 31.80 रूपये।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बैंक के राहिन बदस्तूर रहेगें। विवादित आराजी के कुल लगान 31 रूपये 80 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 63 रूपये 60 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)